ORDER SHEET

THE COURT सिराज अली न्या0मजि0प्रथम श्रेणी बैहर

आपराधिक प्रकरण कमांक—1237/14 म0प्र0राज्य विरुद्ध अब्दुल हारून व 3

-		N Z	
•	Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or pleaders where necessary
क		मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट के प्रभावशील कार्य विभाजन के	
	A	आदेशनुसार आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अपराध क्रमांक 174/14, धारा–294,	
	N.	323, 506 बी 34 भादंवि के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के संबंध में थाना	
	A	प्रभारी की ओर से पोतन चौधरी क्रमांक— ने यह अभियोग पत्र सह	
	(2)	प्रपत्र (क्रमांक ०१ से १४ तक) अभियुक्त—	
		1. अब्दुल हारून जिलानी पिता हनीफ जिलानी, जाति मुसलमान, उम्र 28	
		साल,	
		2. हनीफ जिलानी पिता हफीज जिलानी, जाति मुसलमान, उम्र 54 साल,	(SI)
		3. सफीना जिलानी पति हनीफ जिलानी, जाति मुसलमान, उम्र 52 साल,	K
		4. सबनम पति समीर खान, जाति मुसलमान, उम्र 30 साल, सभी निवासी	
		भिमजोरी, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट (म०प्र०) के विरूद्ध प्रस्तुत किया	
		गया।	
		अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया गया।	
		राज्य द्वारा श्री अनिल मोहारे ए०डी०पी०ओ।	
		अभियुक्तगण की ओर से श्री रवि शंकर मेरावी अधिवक्ता ने उपस्थिति	
		ज्ञापन प्रस्तुत किया।	
		अभियोग पत्र विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है।	
		अभियुक्त के अधिवक्ता को अभियोग पत्र की पढनीय प्रतियां प्रदान	
		की गई।	
		प्रकरण का अभिलेख केन्द्रीय पंजीयन हेतु संबंधित पंजीयक लिपिक	
		को भेजा जावे।	
		(2)	

Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or pleaders where necessary
	XC. 3	
	प्रकरण से संबंधित संपत्ति एक चाकू व एक कुल्हाड़ी को नायब नाजिर	
	के पास जमा की जाये। संपत्ति ज्ञापन अभिलेख के साथ संलग्न किया जाये।	
	प्रार्थी अय्यब खान, आहत समीम बेगम, इमरान खान स्वतः उपस्थित।	
	श्री रविशंकर मेरावी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उभयपक्ष की ओर	
	से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—320 एवं 320(2) दं0प्र0सं0 का पेश कर	
A	राजीनामा किये जाने की अनुमति एवं राजीनामा स्वीकार किये जाने का	
A.	प्रार्थी एवं आहतगण ने राजीनामा स्वैच्छयापूर्वक बिना किसी डर या	
A	दवाब के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है तथा प्रार्थी एवं आहतगण की	
1211	पहचान अधिवक्ता श्री रविशंकर मेरावी द्वारा की गई।	
	आरोपीगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506 भाग—दो 34 भादंवि के	
	अंतर्गत अपराध का आरोप है। आरोपीगण के विरूद्ध अपराध का शमन किये	
	जाने हेतु प्रार्थी अय्यब खान, आहत समीम बेगम, इमरान खान सक्षम पक्षकार	(2)
	है। आरोपीगण के विरूद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण पेश नहीं	8
	किया गया है। आरोपित अपराध में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294,	
	323, 506 भाग दो 34 शमनीय प्रकृति का है। उभयपक्ष का उक्त राजीनामा	
	आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप आरोपी अब्दुल हारून	
	जिलानी, अ0हनीफ जिलानी, सफीना जिलानी, सबनम को शमनीय अपराध	
	भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—दो 34 के अपराध से	
	दोषमुक्त किया जाता है	
	प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक चाकू व एक कुल्हाड़ी है जो	
	मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।	
	प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलंब	
	अभिलेखागार भेजा जावे।	
	(सिराज अली)	
	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर	

जिला बालाघाट